# सराहनीय कार्य
# इटावा पुलिस

**प्रेस नोट-दिनांक 20.05.2026**

**#CRACKDOWN**

- **पुलिस एवं बदमाश के बीच मुठभेड़।**
- **25,000/- रुपये के इनामिया एवं एनडीपीएस एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।**

**पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई श्री कुशलपाल सिंह के नेतृत्व में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

**घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-**

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं इनामिया, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** के निर्देशन में दिनांक 19/20.05.2026 की रात्रि को थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बरी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 01 अभियुक्त जो गांजा के मुकदमें में भगौडा चल रहा है, जो ट्रक से उतर कर नगला बरी तिराहा से हवाई पट्टी जाने वाले मैन रोड से ग्राम नगरिया की तरफ जाने वाले तिराहा पर खडा हुआ है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचे, पुलिस टीम को देखकर व्यक्ति घबराकर तेज कदमों से ग्राम नगरिया की ओर चलने लगा। पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग फायरिंग की गयी जिसमें **अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र तिलक सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।**

**घायल अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र तिलक सिंह को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया।**

**उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी और पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 41/2026 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1. सुभाष यादव पुत्र तिलक सिंह निवासी ग्राम नगला इमलिया थाना पिलुआ जनपद एटा हाल पता न्यू संजय नगर थाना कोतवाली एटा जनपद एटा **उम्र करीब 40 वर्ष।**

**नोटः- अभियुक्त सुभाष यादव थाना वैदपुरा के मु0अ0स0 02/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 09.11.2024 से मफरूर चल रहा था। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25000/- रू0 का इनाम घोषित किया गया था।**

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 41/2026 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

**आपराधिक इतिहास-**

**सुभाष यादव पुत्र तिलक सिंह**

1. मु0अ0स0 02/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
2. मु0अ0स0 41/2026 धारा109(1)(पु0मु0) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

**बरामदगीः-**

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 02 खोखा कारतूस 315 बोर

**पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष वैदपुरा श्री नागेन्द्र चौधरी, का0 रजत कुमार, का0 विनय कुमार, का0 प्रमोद कुमार, का0 जोनी कुमार।